ए.

वक्फ बोर्ड, राजस्थान बनाम.

जिंदल साव लिमिटेड एंड ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 2788) अप्रैल 29,2022

बी.

[हेमंत गुप्ता और वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.** जे**.]**

धार्मिक संरचनाःवक्फ संपत्ति-प्रत्यर्थी सं।1 सर्वेक्षण सं. में एक क्षेत्र का पट्टा दिया गया था। 6731 खनन गतिविधियों के उद्देश्य के लिए-प्रत्यर्थी सं.1 वक्फ बोर्ड-अपीलार्थी और अन्य प्रत्यर्थीगण को प्रत्यर्थी संख्या की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध करना।1 ग्राम पुर में खसरा सं. 6731 का हिस्सा बनने वाली संरचना को हटाने में-वक्फ बोर्ड की याचिका कि सर्वेक्षण सं. 6731 में शामिल भूमि पर एक धार्मिक संरचना है-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी-वक्फ बोर्ड द्वारा अपील-आयोजितःवक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ के अनुसार तिरंगा पहाड़ी पर कलंदरी मस्जिद सर्वेक्षण संख्या 931 पर स्थित है-इस बात का कोई दावा नहीं है कि सर्वेक्षण संख्या 931 को सर्वेक्षण संख्या 6731 के रूप में बदल दिया गया है-इसलिए, वक्फ बोर्ड का दावा भूमि के एक अलग हिस्से पर है न कि प्रत्यर्थी संख्या को पट्टे पर दी गई भूमि पर।1 – प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में मस्जिद के कुल क्षेत्र में भी विसंगति है-इसके अलावा, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि संरचना का उपयोग मस्जिद के रूप में किया जा रहा था और इसे वक्फ कहा जाता था-समर्पण या उपयोगकर्ता के किसी भी प्रमाण के अभाव में, एक जर्जर दीवार या मंच को धार्मिक स्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है-उच्च न्यायालय के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ के अनुसार तिरंगा पहाड़ी पर कलंदरी मस्जिद सर्वेक्षण संख्या **931** पर स्थित है।इस बात का कोई दावा नहीं है कि सर्वेक्षण संख्या **931** को सर्वेक्षण संख्या **6731** के रूप में बदल दिया गया है।वास्तव में**,** सर्वेक्षण संख्या **6731** की पुरानी संख्या **9646** है या कोई अन्य संख्या हो सकती है लेकिन सकारात्मक रूप से

सर्वेक्षण संख्या **931** नहीं है।इसलिए**,** अपीलार्थी का दावा भूमि के एक अलग हिस्से पर है न कि रिट याचिकाकर्ता को पट्टे पर दी गई भूमि पर।दो दस्तावेजों में मस्जिद के कुल क्षेत्र में विसंगति है**,** ए

जी.

एच.

803

804 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

अर्थात्**,** रजिस्टर और दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उद्धरण।अंजुमन समिति द्वारा दिनांकित **17.4.2012** पत्र सुनी**-**सुनाई बातों पर आधारित है और इसका कोई बाध्यकारी मूल्य नहीं है।**[**पैरा **16] [810-**ई**-**जी**]**

2. इसके अलावा**,** किसी भी समय इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संरचना का उपयोग मस्जिद के रूप में किया जा रहा था।समर्पण या उपयोगकर्ता या अनुदान का कोई आरोप या प्रमाण नहीं है जिसे अधिनियम के अर्थ में वक्फ कहा जा सके। विशेषज्ञों की रिपोर्ट केवल इस हद तक प्रासंगिक है कि संरचना का कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक महत्व नहीं है।समर्पण या उपयोगकर्ता के किसी भी प्रमाण के अभाव में**,** एक जीर्ण**-**शीर्ण दीवार या एक मंच को प्रार्थना**/**नमाज अदा करने के उद्देश्य से एक धार्मिक स्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। **[**पारस **17,18] [810-**जी**; 811-**ए**,** सी**-**डी**]3.** राज्य सरकार का यह रुख कि उन्होंने इसे खसरा संख्या **6731** में शामिल एक धार्मिक संरचना के रूप में पहचाना है**,** अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई निर्णय**,** यदि कोई हो**,** रिट याचिकाकर्ता को संबद्ध करने के बाद लिया गया था।प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद और अच्छे और पर्याप्त आधारों पर पट्टा विलेख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पट्टेदार के रूप में राज्य हमेशा खुला रहता है।**[**पैरा **19] [811-**ई**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 2788।

2020 की डी. बी. सिविल रिट याचिका <आई. डी. 2 में जोधपुर में राजस्थान पीठ के लिए उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 29.09.2021 से।

एफ.

के साथ

2022 की सिविल अपील संख्या 2789।

सी. एस. वैद्यनाथन, रंजीत कुमार, डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, प्रशांत भूषण, देवेश अग्निहोत्री, खुशी मोहम्मद।, अंजुम परवेज, सुश्री निलोफर खान, अनुराग अभिषेक, अभिषेक सिंह, निलय बंदोपाध्याय, अर्पित प्रकाश, संदीप कुमार झा, अब्दुल कादिर अब्बासी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जी.

एच.

805

डब्ल्यू. ए. क्यू. एफ. बोर्ड, राजस्थान बनाम जिंदल साव लिमिटेड एंड ओ. आर. एस.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपीलों में चुनौती जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को दी गई है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 1 द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 से 8 को निर्देश दिया गया था कि वे राजस्थान के भीलवाड़ा के ग्राम पुर में खसरा संख्या 6731 के हिस्से को हटाने में रिट याचिकाकर्ता की कार्रवाई में हस्तक्षेप न करें।

बी.

2. रिट याचिकाकर्ता को राजस्थान के ग्राम ढेडवा, तहसील और जिला भीलवाड़ा के पास सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, लोहा, कोबाल्ट, निकल और संबंधित खनिजों के खनन के लिए दिनांकित पट्टा विलेख के माध्यम से 1556.7817 हेक्टेयर क्षेत्र का पट्टा दिया गया था।

सी.

3. यह बताया गया कि भीलवाड़ा के तहसीलदार ने भूमि संख्या के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड सुपर इम्पोज साइट प्लान के साथ एक जांच करने के बाद 3.12.2010 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें गाँव समोदी के 142-15 बीघा को मापा गया था; गाँव दरीबा के भूमि संख्या 33-09 बीघा को मापा गया था; गाँव पंसल के भूमि संख्या 40-03 बीघा को मापा गया था; गाँव मलोला के भूमि संख्या 127-02 बीघा को मापा गया था; गाँव धुलखेड़ा के भूमि संख्या 241-14 बीघा को मापा गया था; गाँव पुर के भूमि संख्या 748-

02 बीघा को मापा गया था।इस तरह की रिपोर्ट से पता चलता है कि सामोदी गाँव की भूमि संख्या 897 एक देवस्थान यानी पूजा का स्थान है।यह सूचित किया गया कि यदि खनन कार्य देवस्थान को नुकसान पहुँचाए बिना और हानिकारक विस्फोटकों का उपयोग किए बिना किया जाता है, तो उस सर्वेक्षण संख्या में खनन कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है।विस्तृत रिपोर्ट में, सामोदी, दरीबा, पंसल, मलोला जैसे विभिन्न गांवों के कुछ सर्वेक्षण नंबरों का उल्लेख किया गया है जिसमें अनुमति नहीं देने का प्रस्ताव था और कुछ अन्य सर्वेक्षण नंबर भी हैं जिनमें अनुमति देने का प्रस्ताव था।सर्वेक्षण संख्या 543 (6 बीघा 11 बिसवा) में, 498 मिनट। मलोला गाँव के (8 बीघा 6 बिसवा) और 42 (3 बिसवा), धार्मिक स्थल के पास बंजर भूमि को देखते हुए अनुमति नहीं देने का प्रस्ताव था।इसी तरह धुलखेड़ा गांव में धार्मिक स्थान के कारण सर्वेक्षण संख्या 219 और 220 में और कब्रिस्तान के कारण सर्वेक्षण संख्या 365 में खनन करने का प्रस्ताव नहीं दिया गया था।हालांकि, ग्राम पुर में विचाराधीन क्षेत्र के संबंध में, खनन

डी.

ई.

एफ.

जी.

1 संक्षेप में, 'रिट याचिकाकर्ता'

एच.

ए.

भूमि सर्वेक्षण संख्या 235 में करने का प्रस्ताव किया गया था।158 बीघा 12 बिसवा मापने वाले सर्वेक्षण संख्या 6731 के संबंध में अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया था।इस प्रकार यह प्रस्ताव किया गया था कि खनन कार्य के लिए कुल 212 बीघा 11 बिसवा में अनुमति नहीं दी जानी थी, जबकि 325 बीघा 19 बिसवा में अनुमति दी जानी थी।इसके बाद राज्य द्वारा रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टा 8.12.2010 पर निष्पादित किया गया था।4. राजस्थान राज्य के वक्फ के सर्वेक्षण आयुक्त ने वर्ष 1963 में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण किया था।उक्त सर्वेक्षण में, सर्वेक्षण रिपोर्ट में 'तिरंगा की कलंदरी मस्जिद' नामक एक संरचना पाई गई थी। उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर, 23.9.1965 पर एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें पुर गाँव में स्थित 'तिरंगा की कलंदरी मस्जिद' को वक्फ के रूप में अधिसूचित किया गया था।बाद में, उक्त राजपत्र अधिसूचना के आधार पर, 'तिरंगा की कलंदरी मस्जिद' को

वक्फ रजिस्टर में 12x9 = 108 के रूप में दर्ज किया गया था।वक्फ अधिनियम, 1995 2 के अनुसार गाँव पुर, भीलवाड़ा में एक और सर्वेक्षण किया गया था।आई. डी. 1 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण संख्या 931 में 'कलंदरी मस्जिद तिरंगा' मौजूद पाया गया था।उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के भाग III (बी) में मस्जिद का आयाम 25x25x25x25 दिया गया है, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है।

बी.

सी.

डी.

5. यह कहा जा सकता है कि सर्वेक्षण संख्या 931 उन सर्वेक्षण संख्या की सूची में शामिल नहीं है जिनमें से पट्टा दिया गया था।सर्वेक्षण संख्या 931 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इसके लिए पट्टा दिया जाना है या नहीं।

ई.

6. ऐसा प्रतीत होता है कि अंजुमन समिति ने अपीलकर्ता-बोर्ड के अध्यक्ष को 17.4.2012 पर एक पत्र संबोधित किया था जिसमें कहा गया था कि गाँव पुर में तिरंगा पहाड़ी पर तथाकथित कलंदारी मस्जिद पर एक दीवार और चबूतरा (मंच) है जिसमें पुराने समय के मजदूर नमाज अदा करते थे।बुजुर्गों ने बताया था कि उन्होंने किसी को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा है और न ही प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए पानी और सीढ़ियों तक पहुंच है।अपीलार्थी के कार्यालय ने 18.4.2012 पर जवाब दिया कि तिरंगा पहाड़ी के ऊपर मंच वाले क्षेत्र को खनन से बचाया जाना चाहिए।जब इन पत्रों का अनुवाद किया जाता है, तो वे इस प्रकार हैंः-

एफ.

जी.

“17.4.2012

“यह प्रस्तुत किया जाता है कि तिरंगा पहाड़ियों में स्थित तथाकथित कलंदरी मस्जिद में एक दीवार और अलग किए गए चबूतरे/चबूतरे हैं जहां पहले कुछ मजदूर नमाज अदा करते थे।के द्वारा

2 संक्षेप में, 'अधिनियम' ए

एच.

807

डब्ल्यू. ए. क्यू. एफ. बोर्ड, राजस्थान बनाम जिंदल साव लिमिटेड एंड ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

बुजुर्गों से पूछताछ करने पर हमें पता चला कि ऐसी जगह पर किसी को प्रार्थना/नमाज अदा करते नहीं देखा गया था।इसके अलावा, न तो वहाँ पानी है, न ही सीढ़ियाँ हैं।

खनिकों ने बताया कि खनन के कारण दीवार और चबूतरा, जो पहले से ही जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं, गिर सकते हैं।

बी.

जब हमने वहाँ मौजूद खनिकों से इस बारे में बात की, तो वे सम्मानपूर्वक एक समझौते पर पहुँचने के लिए सहमत हो गए।इसलिए, कृपया इस मुद्दे को हल करने के लिए निर्देश/मार्गदर्शन जारी करके हमें बाध्य करें।"

18.4.2012

"विषय-शरीयत के अनुसार चबूतरा/मंच के लिए कदम उठाने से संबंधित।

सी.

आपके 17 अप्रैल 2012 के पत्र के संदर्भ में।

उपरोक्त पत्र के संबंध में, यह कहा गया है कि ग्राम पुर में स्थित तिरंगा पहाड़ी पर एक चबूतरा/जीर्ण-शीर्ण मंच है जिसे खनन गतिविधियों से संरक्षित करने की मांग की गई है और एक समझौते पर पहुंचने की बातचीत हुई है।

डी.

इसलिए, इस संदर्भ में वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करने के साथ-साथ वक्फ के लाभ को ध्यान में रखते हुए, अपनी ओर से आवश्यक निर्णय लें और वक्फ बोर्ड को भी इसके बारे में सूचित करें।मूल यहाँ संलग्न है।"

ई.

7. आई. डी. 2 पर, अपीलकर्ता-बोर्ड के अध्यक्ष ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सूचित किया कि आई. डी. 1 दिनांकित संचार की गलत व्याख्या की जा रही है क्योंकि इसका उद्देश्य वक्फ के हितों की रक्षा करना था, लेकिन अंजुमन समिति के सदस्यों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम किया है और इसलिए कार्रवाई की जानी चाहिए।उक्त पत्र के जवाब में, जिला मजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और Rs.65 लाख की राशि बरामद की गई है।इस पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

एफ.

8. उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित दो प्रश्नों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कियाः

जी.

"(i) इस बारे में कि क्या याचिकाकर्ता के खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर मौजूद संरचना एक मस्जिद या संरचना थी जिसे उक्त क्षेत्र के भीतर पट्टा रखने की गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से हटाया जा सकता है।

एच.

((ii) समिति यह भी पता लगाएगी कि क्या याचिकाकर्ता के खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर कोई अवैध खनन गतिविधि हुई थी और यदि ऐसा है तो क्या इसे याचिकाकर्ता-कंपनी या किसी अन्य संस्था द्वारा किया गया था।"

9. यह रिकॉर्ड में आया है कि ऐसी समिति की अध्यक्षता भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक (सेवानिवृत्त) श्री आर. के. सिन्हा ने खान और भूविज्ञान विभाग, राजस्थान के सचिव के नामित श्री ओ. पी. काबरा और श्रीमती. नंदिनी भट्टाचार्य साहू, क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिम), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।सचिव खान के नामित श्री ओ. पी. काबरा को बाद में भीलवाड़ा के अधीक्षण खनन अभियंता श्री ए. के. नंदवाना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।समिति ने 10.1.2021 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि खसरा No.6731 में मौजूद जीर्ण-शीर्ण संरचना न तो मस्जिद है और न ही पुरातात्विक या ऐतिहासिक प्रासंगिकता वाली कोई संरचना है।सदस्यों में से एक श्री ए. के. नंदवाना ने एक हस्तलिखित नोट द्वारा रिपोर्ट के साथ आंशिक रूप से असहमति जताई थी जिसमें कहा गया था कि अवैध खनन को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

बी.

सी.

डी.

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि गठित ऐसी विशेषज्ञ समिति में अपीलार्थी का कोई प्रतिनिधि नहीं था और अपीलार्थी इस प्रकार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से जुड़ा नहीं था, इसलिए, रिपोर्ट को पहाड़ी पर संरचना को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह एक धार्मिक संरचना नहीं है।यह तर्क दिया गया था कि

संरचना वक्फ है या नहीं, यह वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 83 के संदर्भ में तय किया जाना चाहिए न कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में।

ई.

11. डॉ. मनीष सिंघवी, राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क देने के लिए उठाए गए तर्कों का समर्थन किया कि दिनांकित पट्टे के संदर्भ में, यह निर्णय कि क्या वह स्थान एक सार्वजनिक आधार है जिस पर खनन गतिविधि की जा सकती है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है।राज्य सरकार ने निर्धारित किया है कि सर्वेक्षण संख्या 6731 पर खनन पट्टे की अनुमति नहीं है।प्रासंगिक शर्तें इस प्रकार हैं:

एफ.

"कुछ स्थानों पर कोई इमारत आदि नहीं है:-

जी.

1. किसी भी भवन या वस्तु को खड़ा नहीं किया जाएगा, स्थापित नहीं किया जाएगा या नहीं रखा जाएगा और किसी भी सार्वजनिक आनंद स्थल, जलाने या कब्रिस्तान या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा पवित्र माने जाने वाले स्थान या किसी घर या गाँव के स्थान, सार्वजनिक सड़क या अन्य स्थान में या उस पर कोई सतह संचालन नहीं किया जाएगा जिसे राज्य सरकार सार्वजनिक मैदान के रूप में निर्धारित कर सकती है और न ही

एच.

809

डब्ल्यू. ए. क्यू. एफ. बोर्ड, राजस्थान बनाम जिंदल साव लिमिटेड एंड ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

इस तरह से कि किसी भी भवन के कार्यों की संपत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को नुकसान पहुँचाने या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए और किसी भी भूमि का उपयोग सतह के संचालन के लिए नहीं किया जाएगा जो पहले से ही राज्य सरकार के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा इस पट्टे में शामिल नहीं किए गए कार्यों या उद्देश्यों के लिए कब्जा कर लिया गया है।पट्टेदार/पट्टेदार किसी भी तरीके या बात करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।"

बी.

12. दूसरी ओर, श्री रंजीत कुमार और श्री सी. एस. वैद्यनाथन, रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों ने तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, जिसके आधार पर पट्टे की अनुमति दी गई थी, सर्वेक्षण संख्या 931 जिस पर सर्वेक्षण रिपोर्ट

में उक्त संरचना पाई गई है, पट्टे का हिस्सा नहीं था।158 बीघा 12 बिसवा को मापने वाला सर्वेक्षण संख्या 6731 वह था जिस पर रिट याचिकाकर्ता को खनन कार्य करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज या रिपोर्ट नहीं है कि सर्वेक्षण संख्या 6731 के किसी भी हिस्से को कभी भी वक्फ के अर्थ के भीतर एक धार्मिक संरचना घोषित किया गया था जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्रस्तुत की, जिसके आधार पर अपीलार्थी ने भरोसा जताया कि पुर गाँव में तिरंगा कलंदरी मस्जिद एक मस्जिद है और इसलिए कोई खनन गतिविधि नहीं की जा सकती है।

सी.

डी.

13. इस प्रकार प्रस्तुत किया गया पहला दस्तावेज़ दिनांकित नहीं है, लेकिन विषय से पता चलता है कि यह औकाफ़ के संबंध में है जिसे राज्य के अजमेर और सुनेल क्षेत्रों में 5.1.1959 तक और राजस्थान के बाकी हिस्सों में 1.4.1955 द्वारा पंजीकृत किया जाना है।उक्त रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें कोई सर्वेक्षण संख्या नहीं है, हालांकि वक्फ के मूल्य का आकलन Rs.900 पर किया गया था-और उपयोग का उद्देश्य नमाज के लिए था।इसके बाद, आई. डी. 1 पर एक अधिसूचना प्रकाशित की गई जिसमें तिरंगा की कलंदरी मस्जिद को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया क्योंकि प्रकृति और वस्तु पवित्र, धार्मिक और प्रार्थना करने के लिए हैं।अपीलार्थी ने अपने रजिस्टर से एक उद्धरण प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि 12x9 माप 108 तिरंगा की कलंदरी मस्जिद है।अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत एक अन्य दस्तावेज़ सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो इस आशय की है कि तिरंगा पहाड़ी पर कलंदरी मस्जिद सर्वेक्षण संख्या 931 में स्थित है।

ई.

एफ.

जी.

14. इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के साथ, श्री रंजीत कुमार और श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी का दावा पूरी तरह से असमर्थनीय है क्योंकि किसी भी समय, कोई भी राजस्व रिकॉर्ड सर्वेक्षण संख्या 6731 में शामिल भूमि पर किसी भी धार्मिक संरचना को नहीं दर्शाता है।वास्तव में, धार्मिक संरचना को सर्वेक्षण संख्या 931 पर अस्तित्व में कहा जाता है। इससे भी आगे,

एच.

अपीलार्थी के अभिलेख से पता चलता है कि धार्मिक संरचना का क्षेत्रफल 108 फुट है जबकि दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह क्षेत्र 525 फुट दिखाया गया है।इसलिए, उस क्षेत्र के बारे में विसंगति है जिस पर धार्मिक संरचना मौजूद है।

15. यह भी तर्क दिया गया है कि तस्वीरों के अवलोकन से पता चलता है कि संरचना बिना किसी छत के पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण है और वास्तव में उस स्थान पर एक दीवार और कुछ टूटा हुआ मंच मौजूद है।यह क्षेत्र वनस्पति से घिरा हुआ है और यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि इस संरचना का उपयोग कभी भी प्रार्थना (नमाज़) करने के लिए किया गया था क्योंकि न तो यह क्षेत्र सुलभ है और न ही वाज़ू 3 की कोई सुविधा है, जिसे प्रार्थना करने से पहले एक आवश्यक कदम कहा जाता है।पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने बताया है कि इस संरचना का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व नहीं है।यह भी तर्क दिया जाता है कि कब्जा देने से पहले तहसीलदार ने प्रस्तावित भूमि पर मौजूद प्रत्येक संरचना की एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी।कब्रिस्तान और अन्य धार्मिक संरचनाओं के लिए भूमि को पट्टे से बाहर रखा गया है।इसलिए, राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए विवाद को उठाने से कई साल पहले की गई पहचान के कार्य में शुद्धता की धारणा होती है।यह दर्शाता है कि संरचना का कोई धार्मिक मूल्य नहीं था।

बी.

सी.

डी.

16. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाई है।अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ के अनुसार तिरंगा पहाड़ी पर कलंदरी मस्जिद सर्वेक्षण संख्या 931 पर स्थित है।इस बात का कोई दावा नहीं है कि सर्वेक्षण संख्या 931 को सर्वेक्षण संख्या 6731 के रूप में बदल दिया गया है।वास्तव में, सर्वेक्षण संख्या 6731 की पुरानी संख्या 9646 है या कोई अन्य संख्या हो सकती है लेकिन सकारात्मक रूप से सर्वेक्षण संख्या 931 नहीं है।इसलिए, अपीलार्थी का दावा भूमि के एक अलग हिस्से पर है न कि रिट याचिकाकर्ता को पट्टे पर दी गई भूमि पर।दो दस्तावेजों में मस्जिद के कुल क्षेत्र में विसंगति है, अर्थात, अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर से प्रस्तुत उद्धरण और दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट।अंजुमन समिति द्वारा दिनांकित 17.4.2012 पत्र सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है और इसका कोई बाध्यकारी मूल्य नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

17. इसके अलावा, किसी भी समय इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संरचना का उपयोग मस्जिद के रूप में किया जा रहा था।समर्पण या उपयोगकर्ता या अनुदान का कोई आरोप या प्रमाण नहीं है जिसे कहा जा सकता है।

3 अनुष्ठान शुद्धिकरण का अभ्यास अर्थात दैनिक प्रार्थना से पहले चेहरा, हाथ, भुजाएँ और पैर धोना।

एच.

811

डब्ल्यू. ए. क्यू. एफ. बोर्ड, राजस्थान बनाम जिंदल साव लिमिटेड एंड ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

ए.

अधिनियम के अर्थ के भीतर एक वक्फ के रूप में। अधिनियम की धारा 3 (आर) इस प्रकार है:-

“[(आर) "वक्फ" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना और इसमें शामिल है-(i) उपयोगकर्ता द्वारा एक वक्फ लेकिन ऐसा वक्फ केवल इस कारण से वक्फ नहीं रहेगा कि उपयोगकर्ता बंद हो गया है, चाहे ऐसी उपकर की अवधि कुछ भी हो।

बी.

((ख) राजस्व अभिलेख में दर्ज कोई शामलात पट्टी, शामलात देह, जुमला मलकान या किसी अन्य नाम से;

सी.

(iii) XXX

XXX "

18. विशेषज्ञों की रिपोर्ट केवल इस हद तक प्रासंगिक है कि संरचना का कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक महत्व नहीं है।समर्पण या उपयोगकर्ता के किसी भी प्रमाण के अभाव में, एक जीर्ण-शीर्ण दीवार या एक मंच को प्रार्थना/नमाज अदा करने के उद्देश्य से एक धार्मिक स्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

डी.

19. राज्य सरकार का यह रुख कि उन्होंने इसे खसरा संख्या 6731 में शामिल एक धार्मिक संरचना के रूप में पहचाना है, अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई निर्णय, यदि कोई हो, रिट याचिकाकर्ता को संबद्ध करने के बाद लिया गया था।प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद और अच्छे और पर्याप्त आधारों पर पट्टा विलेख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पट्टेदार के रूप में राज्य हमेशा खुला रहता है।

ई.

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। नतीजतन, याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

एफ.

देविका गुजराल

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

जी.

एच.